न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/43/2023	2023/342	26–07–2023	24–07–2024

1–पूरण सिंह आजाद उर्फ पूरण सिंह पुत्र बुद्धीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम सुन्दरावली तहसील नगर जिला भरतपुर (राजस्थान)।

–अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार, भू0अ0 अलवर जिला अलवर राज0। – रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व तहसीलदार रामगढ इंतकाल सं0 67 दिनांक 08.02.1993 ग्राम मुंगस्का तह0 अलवर ।

उपस्थितः–

1.श्री प्रकाश चन्द सागर। –वकील अपीलान्ट
2.श्री दीपक मीना। –राजकीय अभिभाषक

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 08.02.1993 इंतकाल संख्या 67 वाके ग्राम मुंगस्का तहसील अलवर जिला अलवर द्वारा स्वीकार की गई है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट आराजी साबिक खसरा नं0 376 मिन रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मुंगस्का तहसील अलवर जिला अलवर में स्थित है, जिसमें से 1 बीघा 8 बिस्वा रकबा राकेश चन्द पुत्र दीन दयाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी मौहल्ला नंगली अलवर शहर जिला अलवर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के इकजाई रूप से क्रेता को विक्रय किया गया जो बयनामा उप पंजीयक अलवर के यहॉ पर पुस्तक सं0 प्रथम, जिल्द सं0 462 पृष्ठ सं0 273–274 तक, क्रम सं0 1780 दिनांक 18.12.1992 पर पंजीकृत किया हुआ है। इस रजिस्टर्ड बयनामे में अपीलार्थी का नाम क्रम सं0 12 पर दर्ज है तथा अपीलार्थी की पत्नी का नाम उक्त इकजाई बयनामे के क्रम सं0 19 पर दर्ज है। इस इकजाई रजिस्टर्ड बयनामे में अपीलार्थी की जाति जाटव साफ तौर पर दर्ज व अंकित की हुई है। उक्त बयनामा बय इंतकाल सं0 67 रेस्पोडेंट द्वारा मंजूर व तस्दीक किया गया। जिस बय इंतकाल में अपीलार्थी की जाति जाटव के स्थान पर जाट दर्ज व अंकित कर दी गयी, जो एक मानवीय भूल व टंकण त्रुटि थी। जिस अंकन की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व मे नहीं हो सकी और इस कारण मुताबिक बय इंतकाल के पश्चातवर्ती राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी की जाति जाटव के स्थान पर जाट दर्ज व अंकित चली आ रही है। अपीलार्थी ने आराजी साबिक खसरा नं0 376 मिन रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 452 रकबा 0.31 है0, 453 रकबा 0.23 है0, 455 रकबा 0.30 है0, 458 रकबा 1.37 है0, 451 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम मुंगस्का की हाल जमाबंदी वगैरा की आवश्यकता होने पर प्राप्त की। जिनका अवलोकन किया तो अपीलार्थी की जानकारी में आया कि अपीलार्थी की जाति इकजाई बयनामा के विरूद्ध जाटव के स्थान पर जाट दर्ज व अंकित की हुई है। इस पर अपीलार्थी ने बय इंतकाल सं0 67 का अवलोकन किया तो उसमे भी अपीलार्थी की जाति जाटव के स्थान पर जाट दर्ज व अंकित की हुई। उक्त बय इंतकाल में मानवीय भूल व टंकण त्रुटि से जाटव के स्थान पर जाट दर्ज होने के कारण बय इंतकाल के पश्चात पश्चातवर्ती सभी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी की जाति जाटव के स्थान पर जाट दर्ज चली आ रही है। उक्त गलत अंकन होने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलार्थी अपने खरीदशुदा रकबे को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान/अभिकरण /संस्था/व्यक्ति इत्यादि में रहन बय हिब्बा व अन्य प्रकार से अंतरण इत्यादि नहीं कर पा रहा है तथा अपीलार्थी को उक्त त्रुटि के कारण क्षति हो रही है और भविष्य में क्षति होना संभव है। जिस पर अपीलार्थी ने तत्काल कानूनी सलाहाकार/एडवोकेट से सम्पर्क किया और कानूनी सलाह हासिल की तो अपीलार्थी को बतलाया गया कि उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अपीलार्थी को न्यायालय हाजा में अपील दायर करनी होगी। जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त जाति को संशोधित करने हेतु संशोधन आदेश पारित करने पर उक्त त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जा सकता है। जिस विवादित इंतकाल सं0 67 दिनांक 08.02.1993 तहसीलदार अलवर से व्यथित होकर यह अपील निम्न उजरात के साथ पेश है। विवादित आदेश तहसीलदार अलवर का है, जिससे अपील को सुनने का न्याय क्षेत्र न्यायालय हाजा को प्राप्त है। विवादित आदेश दिनांक 08.02.1993 का है। विवादित आदेश की जानकारी पूर्व में अपीलार्थी को कभी नहीं रही है। अपीलार्थी को अपने खरीदशुदा रकबे की बाबत ऋण लेने की आश्यकता होने पर बैंक में सम्पर्क किया। बैंक द्वारा अपीलार्थी से आराजी साबिक खसरा नं0 376 मिन रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 452 रकबा 0.31 है0, 453 रकबा 0.23 है0, 455 रकबा 0.30 है0, 458 रकबा 1.37 है0 451 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम मुंगस्का तहसील व जिला अलवर की जमाबंदी वगैरा की मांग की, जिस पर अपीलार्थी ने जमाबंदी इत्यादि की नकल प्राप्त की तथा बैंक को बयनामा की फोटो प्रति व जमांबदी इत्यादि का अवलोकन कराया तो उसमें अपीलार्थी को बैंक द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी की जाति बयनामा में जाटव है, लेकिन जमांबदी इत्यादि में अपीलार्थी की जाति जाट दर्ज है, जिस कारण अपीलार्थी आवेदन पत्र विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को सर्वप्रथम उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराना होगा, तभी अपीलार्थी का आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है। जिस पर अपीलार्थी ने कानूनी सलाहाकार/एडवोकेट से कानूनी मश्वरा प्राप्त किया। कानूनी सलाहाकार/एडवोकेट द्वारा अपीलार्थी को बतलाया गया कि अपीलार्थी की जाति बयनामा में ठीक है, किन्तु उक्त विवादित तस्दीक हुए बय इंतकाल सं0 67 में व बय इंतकाल के पश्चात कायम हुए राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी की जाति जाटव के स्थान पर जाट दर्ज है, जिन्हें दुरूस्त कराने हेतु अपीलार्थी को अपील करनी होगी। जिस पर अपीलार्थी ने अपील हेतु रूपयों–पैसों का इंतजाम कर व लिखा पढ़ी कराई जाकर बिना देरी यह अपील श्रीमान की सेवा में पेश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो समय दिनांक 08.02.1993 से आज दिन तक का समय जानकारी के अभाव में, कानूनी सलाह प्राप्त करने व लिखा पढ़ी कराने में व्यक्ति हुआ है वह काबिले कंडोन है। जिस हेतु पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश है। रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.12.1992 का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया, जिससे अपीलार्थी की जाति विवादित इंतकाल में जाट के स्थान पर जाटव दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी की जाति जाटव है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। अपीलार्थी का जाति प्रमाण पत्र जिला मजि0 भरतपुर द्वारा दिनांक 10.09.1974 को जारी किया हुआ है, जिससे अपीलार्थी की जाति विवादित इंतकाल में जाट के स्थान पर जाटव दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती अंगुरी देवी द्वारा भी अपीलार्थी के साथ ही उक्त विवादित इकजाई बयनामा के वादग्रस्त आराजीयात में रकबा खरीद किया गया था, जिसकी बाबत विवादित बय इंतकाल सं0 67 तस्दीक हुआ जिसमें अपीलार्थी की पत्नी की जाति भी साफ तौर पर जाटव दर्ज व अंकित है, जिससे अपीलार्थी की जाति विवादित इंतकाल में जाट के स्थान पर जाटव दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी की जाति जाटव के स्थान पर जाट दर्ज व अंकित करने से अपीलार्थी अपने खरीदशुदा रकबे को ना तो रहन बय हिब्बा कर पा राह है और ना ही कोई वित्तीय सहायता बैंक/वित्तयी संस्था से प्राप्त कर पा रहा है। उक्त जाति की त्रुटि मानवीय भूल है जो काबिले दुरूस्त है जिससे अपीलार्थी की जाति विवादित इंतकाल में जाट के स्थान पर जाटव दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी की जाति जाटव है, जिसका अंकन अपीलार्थी को सभी अन्य दस्तावेजों में साफ तौर पर दर्शित है, जिससे अपीलार्थी की जाति विवादित इंतकाल में जाट के स्थान पर जाटव दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर बय इंतकाल सं0 67 में अपीलार्थी की जाति जाट के स्थान पर मुताबिक बयनामा दिनांक 18.12.1992 के जाटव दर्ज व दुरूस्त किये जाने का अहकाम जारी करने की कृपा करें।

राजकीय परोकार द्वारा अपील बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 27 वर्ष के विलंब से पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 08.02.1993 के विरूद्व दिनांक 25.02.2020 को इस न्यायालय में पेश की है जो 27 वर्ष के विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित आराजी का बयनामा पेश किया है जिसमें अपीलान्ट का नाम डॉ. पूरण आजाद पुत्र श्री बुद्धीलाल जाति जाटव अंकित है। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जारी स्वयं का जाति प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है, जिसमें अपीलान्ट की जाति जाटव अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित इंतकाल दर्ज करने से पूर्व बयनामा एवं जाति प्रमाण–पत्र का भंली–भांति अवलोकन नहीं किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 08.02.1993 इंतकाल संख्या 67 वाके ग्राम मुंगस्का तह0 व जिला अलवर निरस्त कर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)